जिला विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में ली गयी समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2026 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन
1. **ट्यूबवेल** – जनपद मऊ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 575 ट्यूबवेल का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 567 ट्यबवेल की बोरिंग हो चुकी है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 251 के सापेक्ष 250, मेसर्स के.एल. एस.आर के द्वारा 116 के सापेक्ष 113 तथा मेसर्स जी. ए.इन्फ्रा द्वारा 208 के सापेक्ष 204 ट्यूबवेल की बोरिंग की जा चुकी है। 08 ट्यूबवेल की बोरिंग अवशेष है। एल.सी.इन्फ्रा की 01, मेसर्स के.एल.एस.आर की 03 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के 04 बोरिंग नही की गयी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि भूमि का विवाद होने के कारण तथा बोरिंग असफल होने के कारण कार्य अवशेष है। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करके भूमि विवाद का निस्तारण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया।	**ट्यूबवेल**–कुल 575 ट्यूबवेल की बोरिंग के सापेक्ष 567 ट्यूबवेल की बोरिंग की गयी है। कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा की 01, मेसर्स के.एल.एस. आर की 03, एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ की 04 कुल 08 बोरिंग का कार्य अवशेष है। बोंरिग न होने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद के कारण तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य अवशेष है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स के.एल.एस.आर से सम्बन्धित बोरिंग बार–बार असफल हो जाने के कारण अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर भी बोरिंग का कार्य सम्भव हो पायेगा। कार्यदायी संस्थाओं को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि का विवाद निस्तारण किये जाने हेतु पत्रांक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा निर्देश दिये गये है। **(संलग्नक–क)**
2. **पम्प हाउस** – अधिशासी अभियन्ता , जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 575 पम्प हाउस के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 557 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। 557 में से 524 का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माणाधीन 33 पम्प हाउस अपूर्ण है। इसके अलावा 18 पम्प हाउस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 05, मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 06 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 07 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की उदासीनता एवं लापरवाही परिलक्षित हो रही है। कार्यदायी संस्थाओं को दिनांक 15.07.2026 तक प्रत्येक दशा में पम्प हाउस का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।	**पम्प हाउस**–कुल 557 पम्प हाउस के सापेक्ष 524 पम्प हाउस पूर्ण हो चुके है। 33 पम्प हाउस पर निर्माण कार्य गतिमान है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के 05, मेसर्स के.एल.एस.आर के 06, एवं मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ के 07 कुल 18 पम्प हाउस का कार्य दिनांक 15.07.2026 तक पूर्ण किये जाने हेतु पत्रांक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा निर्देश दिये गये है।
3. **शिरोपरि जलाशय** – अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 537 शिरोपरि जलाशय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 515 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 01, मेसर्स के.एल. एस.आर द्वारा 16 एवं मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 05 कुल 22 शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 94, मेसर्स के.एल. एस.आर द्वारा मात्र 13 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 165 कुल 272 शिरोपिर जलाशय पूर्ण हो चुके है। के. एल.एस.द्वारा मात्र 13 पूर्ण करना संस्था की लापरवाही एवं मनमानी का प्रतीक है। एल.सीं.इन्फ्रा द्वारा वर्ष 2021 से कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद मात्र 94 पूर्ण करना संस्था की लापरवाही प्रतीत हो रही है। मेसर्स	**शिरोपरि जलाशय**– कुल 537 के सापेक्ष 515 शिरोपरि जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ किये गये है। 22 शिरोपरि जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ न करने के कारण संस्थाओं को सचेत करते हुये तत्काल कार्य प्रारम्भ न होने वाले परियोजनाओं पर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं तथा 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण वाले शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रत्येक दशा में 30 जून 2026 तक पूर्ण किये जाने के लिये सचेत किया गया है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पत्र के माध्यम से शिरोपरि जलाशयों को समय से पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया है। मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा के पत्रांक LC/JJM/LKO/Mau/2026-27/138 दिनांक 09.06. 2026, मेसर्स के.एल.एस.आर का पत्रांक KLSR-

Scanned with OKEN Scanner

के.एल.एस.आर एवं एल.सी.इन्फ्रा को कड़ायी के साथ सचेत किया जाता है कि शिरोपरि जलाशय के निर्माण की प्रगति में सुधार कर लिया जाय। 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य 123 शिरोपरि जलाशय निर्माणाधीन है। संस्थाओं को 76 से 99 प्रतिशत के मध्य वाले निर्माण को 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।	RAYS(JV)/MAU/2026-27/722 दिनांक 09.06.2026 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के पत्रांक GA-VPL/Mau/JJM/ 2026-27/05 दिनांक 09.06.2026 **(क्रमशः संलग्नक–ख,ग, घ)**
4. **सोलर पैनल** – अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा को 219, मेसर्स के.एल.एस.आर को 113 तथा मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ को 197 कुल 529 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 174 पैनल पूर्ण किये गये है, 45 शेष है। के.एल.एस.आर द्वारा 65 पूर्ण किये गये है, 48 अवशेष है तथा जी.ए.विश्वनाथ के 157 पूर्ण है, 40 शेष है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि जैसे–जैसे पम्प हाउस का निर्माण पूर्ण हो रहा है उसी के अनुरूप सोलर पैनल का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं को 30 जून तक कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।	**सोलर पैनल**– पेयजल परियोजनाओं पर विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कुल 529 सोलर प्लान्ट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के 45, मेसर्स के.एल.एस.आर के 48, तथा मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ के 40 सोलर पैनल का कार्य अवशेष है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लिखित रूप से कार्य पूर्ण किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया है। मेसर्स एल. सी. इन्फ्रा के पत्रांक LC/JJM/LKO/Mau/2026-27/138 दिनांक 09.06.2026, मेसर्स के.एल.एस.आर का पत्रांक KLSR-RAYS(JV)/MAU/2026-27/722 दिनांक 09.06.2026 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के पत्रांक GA-VPL/Mau/ JJM/2026-27/05 दिनांक 09.06.2026। महोदय के समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2026 के पश्चात पंत्राक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा शीघ्र सोलर पैनल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।
5. **पाईप लाइन** – समीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये विवरण पुस्तिका के अनुसार 7941 कि0मी0 पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाइन डालने का लक्ष्य निर्धारित है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा 2963 के सापेक्ष 2861 कि0मी0 डाली गयी है तथा 102 कि0मी0 अवशेष है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 1748 कि0मी0 के सापेक्ष 1520 कि0मी0 पाईप लाइन डाली गयी है, 228 कि0मी0 शेष है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 3230 कि0मी0 के सापेक्ष 3142 कि0मी0 पाईप लाइन डाली गयी है, मात्र 88 कि0मी0 पाईप लाइन डालना शेष है। इस प्रकार कुल 418 कि0मी0 पाईप लाइन का कार्य अवशेष है। 30 जून तक पाईप लाइन का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।	**पाईप लाइन**– पाईप लाइन बिछाने का कार्य 7941 कि0मी0 के सापेक्ष 7523 कि0मी0 पूर्ण हुआ है। 418 कि0मी0 पाईप लाइन डालने का कार्य अवशेष है, जिसके लिये कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लिखित रूप से कार्य पूर्ण किये हेतु आश्वासन दिया गया है। मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा के पत्रांक LC/JJM/LKO/Mau /2026-27/138 दिनांक 09.06.2026, मेसर्स के.एल.एस. आर का पत्रांक KLSR-RAYS(JV)/MAU/2026-27/722 दिनांक 09.06.2026 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के पत्रांक GA-VPL/Mau/JJM/2026-27/05 दिनांक 09.06. 2026 अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रां 1349/डब्ल्यू–86/ 157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा 30 जून 2026 तक शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।
6– **रोड रेस्टोरेशन** – पाईप लाइन बिछाने हेतु खोदे गये सार्वजनिक मार्गों को व्यवस्थित न करने के कारण मा0 जनप्रतिनिधियों से निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त किया जा चुका है। आप द्वारा मार्गों को मोटरेबुल बनाने की बात कही गयी, परन्तु क्षेत्र में खोदे गये मार्गों को मोटरेबल भी न बनाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। कमीशनिंग एवं ओएण्डएम वाले ग्रामों में भी मार्गों को परमानेन्ट मरम्मत न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। कमीशनिंग के बाद स्थायी रूप से व्यवस्थित किये गये	**रोड रेस्टोरेशन**– कार्यदायी संस्थाओं को शत–प्रतिशत मोटरेबल रोड रेस्टोरेशन बनाने के लिये अधोहताक्षरी द्वारा पत्रांक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा निर्देश दिये गये है। **(पत्र संलग्न)** कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि पाईप लाइन के लिये खोदे गये समस्त सार्वजनिक मार्गों को सुगम आवागमन हेतु (मोटरेबल) शत–प्रतिशत बना दिया गया है। गृह संयोजन एवं पाईप लाइन ज्वाइंटिग का कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्थायी रूप से रोड की मरम्मत कर दी जायेगी। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा का

Scanned with OKEN Scanner

मार्गों को पुनः तोडने की शिकायत आपत्तिजनक है। बैठक में यह बताना कि परामानेन्ट बनाये गये मार्गों को लीकेज के कारण दुबारा तोड़ा गया, फर्म अक्षमता एवं लापरवाही का द्योतक है। निश्चित ही पाईप लाइन की प्लम्बरिंग एवं ज्वाइन्टिगं में तकनीकी कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटिया हो रही हैं। सचेत किया जाता है कि सार्वजनिक मार्गों को स्थायी रूप से व्यवस्थित करने के पहले लीकेज की टेस्टिगं सावधानी पूर्वक भिज्ञ तकनीकी कार्मिक के माध्यम से करायी जाय। कार्यदायी संस्थाओं को सचेत किया जाता है कि 15 जून तक समस्त मार्गों को सुगम आवगमन हेतु व्यवस्थित कर लिया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कमीशनिंग के पश्चात मार्गों को परमानेन्ट व्यवस्थित करने के पहले पाईप लाइन भी टेस्टिंग अच्छी तरह से कर ली जाय, जिससे परमानेन्ट दुरूस्त किये गये मार्गों को दुबारा न तोड़ना पडें।	पत्रांक LC/JJM/LKO/Mau/2026-27/138 दिनांक 09.06.2026, मेसर्स के.एल.एस.आर का पत्रांक KLSR-RAYS(JV)/MAU/2026-27/722 दिनांक 09.06.2026 तथा मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के पत्रांक GA-VPL/Mau/JJM/2026-27/05 दिनांक 09.06.2026। इसके अतिरिक्त जल निगम ग्रामीण के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इन्जीनियर्स को भी नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करके रोड रेस्टोरेशन का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये है।
7. **रेगुलर वाटर सप्लाई**– कुल 275 ग्रामों के 631 राजस्व गॉव में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 275 ग्राम पंचायतों मे 214 शिरोपरि जलाशय के माध्यम से तथा 61 डायरेक्ट ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में भीषण गर्मी एवं बढे हुये तापमान को देखते हुये निर्धारित समय–सारणी के अनुसार नियमित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।	**रेगुलर वाटर सप्लाई**– भीषण गर्मी एवं अत्यधिक तापमान को देखते हुये नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं को प्रत्येक साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिये जाते है। महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2026 के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा निर्देश दिये गये है।
8. **मैन पावर**– पेयजल परियोजनाओं की दयनीय प्रगति का मुख्य कारण फर्म के पास मैन पावर का अभाव सबसे बडी समस्या है। समीक्षा बैठकों में निरन्तर मैन पावर में वृद्धि करने के निर्देश दिये जाने के बावजूद फर्म द्वारा कार्य स्थल पर मैन पावर नही लगाये जा रहे है। मैन पावर की कमी के कारण समस्त परियोजनायें प्रभावित हो रही है। तत्काल मैन पावर मे वृद्धि करते हुये निर्माण की प्रगति सुधार ली जाय।	**मैन पावर**– समस्त कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कार्य स्थलों पर आवश्यकता के अनुरूप मैन पावर नही लगाये गये है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा द्वारा लिखित रूप से 400 मैन पावर लगाने की बात कही गयी है तथा मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा मात्र 95 मैन पावर मौजूद होने की बात स्वीकार की गयी है। मेसर्स जी.ए. विश्वनाथ द्वारा मैन पावर के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्रांक 1349/ डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा पर्याप्त मैनपावर लगाने के निर्देश दिये गये है।
9. **टीपीआई**– निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 के रूप में थर्ड पार्टी द्वारा निर्माण का पर्यवेक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। टीपीआई के जिला प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का अनुपालन करने तथा अनुपालन आख्या प्रेषित करने में लापरवाही की जा रही है। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा से सम्बन्धित किटिकल 742, मेजर 5171, माइनर 10 कुल 5923 के सापेक्ष क्रमशः 621, 2830, 10 कुल 3461 की अनुपालन रिपोर्ट 58 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा किटिकल 450, मेजर 4904, माईनर	**टीपीआई**– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण की गुणवत्ता पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करना एवं उसकी अनुपालन रिपोर्ट टीपीआई संस्था को प्रेषित किये जाने की प्रगति अत्यंत दयनीय है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्रांक 1349/डब्ल्यू–86/157 दिनांक 27.05.2026 द्वारा पर्याप्त मैनपावर लगाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2026 के पश्चात दिनांक 09.06.2026 के मध्य किसी संस्था द्वारा एक भी आपत्ति का निस्तारण नही किया गया न तो टीपीआई को अनुपालन आख्या ही उपलब्ध करायी गयी। इस सम्बन्ध में संस्थाओं को पत्रांक 1474/डब्ल्यू–86/171, दिनांक 10.06.2026 द्वारा कड़े निर्देश दिये गये है।

Scanned with OKEN Scanner

17 कुल 5361 के सापेक्ष कमशः 263, 2931,17 कुल 3211 की अनुपालन रिपोर्ट 60 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा किटिकल 76, मेजर 1957, माईनर 16 कुल 2049 के सापेक्ष कमशः 56,816,16 कुल 888 की अनुपालन रिपोर्ट 43 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण करने एवं निस्तारण के पश्चात अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने में घोर लापरवाही की जा रही है। कार्यदायी संस्थाओं को सचेत किया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का मौके पर तत्काल निस्तारण करते हुये कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Status of NCs & Compliances as on_Azamgarh Cluster

S.No.	District	TKC	Total NCs reported				Compliances Submitted By TKCs				% Of Compliance Submitted
			Critical (A)	Major (B)	Minor (C)	Total D = A+B+C	Critical (E)	Major (F)	Minor (G)	Total H=E+F +G	I = H/D
1	MAU	M/s LC Infra-TCEL JV	742	5249	10	6001	821	2830	10	3481	58%
		M/s GA INFRA-VPL JV	439	4946	17	5402	263	2901	17	3211	59%
		M / s KLSR RAYS	76	2026	16	2118	56	816	16	888	42%
		Mau Total	1257	12221	43	13521	940	6677	43	7560	55%

(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 1479 / m-7 / 55 दिनांक 11/6/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
4– जिला विकास अधिकारी, मऊ।
5– जिला समन्वयक, डीपीएमयू , मऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– डीपीएम, टीपीआई, संस्था।
7– जिला प्रतिनिधि मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा/मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ/मेसर्स के.एल.एस.आर, कैम्प कार्यालय, मऊ को सूचनार्थ उनके द्वारा दी गई सूचना के सन्दर्भ में इस आशय से कि मैनपावर बढ़ाते हुए कार्यो में प्रगति लाना सुनिश्चित करें तथा टीपीआई द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण भी प्राथमिकता पर करते हुए आख्या प्रस्तुत करें।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner